213

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 23, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-38-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 14 नवम्बर, 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, रायपुर से दुर्ग के बीच प्रायवेट बसों का अवैध संचालन होने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, निर्भय सिंह पटेल, गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम बेदार नगर में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी तहसील के एक रेंजर द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम दुधावा में सिंचाई बांध से पानी छोड़ने में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तिरपनवां, चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री बोधराम कंवर, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम पनौठा में आयुर्वेदिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराये जाने ;
(ख) ग्राम मड़या-मबैया के बीच नदी पर रपटा बनाये जाने ; तथा
(ग) हरपालपुर मंडी प्रांगण के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने तथा पेयजल हेतु ट्यूबवेल खनन कराये जाने ;

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के नेहरू नगर स्थित खेल मैदान से अतिक्रमण हटाये जाने ;

(3) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वराना से रजत ग्राम मवई तक सड़क बनाये जाने ;

(4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बघोली में पशु-औषधालय खोले जाने ; एवं

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पांखी नाले पर पुल बनाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का वक्तव्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 920) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. वर्ष 1988-89 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 33, 36, 45, 49, 52, 55, 58, 59, 67, 70, 73 एवं 76 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ बासठ करोड़, तेरासी लाख, पांच हजार, पांच सौ चौसठ रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय".

30 मि.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 6) विधेयक, 1995 (क्रमांक 40 सन् 1995) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री संसदीय कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 39 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा (1) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का ग्यारहवां और बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पर चर्चा.

1 घन्टा 30 मि. (2) मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर जारी श्वेत पत्र पर चर्चा.

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 27 नवम्बर, 1995 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 595) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 30 नवम्बर, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 976) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(3) दिनांक 4 दिसम्बर, 1995 को राज्यमंत्री ऊर्जा से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 1715) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. पी.आर. बोडखे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(4) दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1121) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 13 दिसम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .